दिनांक 16.01.2019

स्वच्छ भारत अभियान   स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

भिलाईनगर/ महापौर परिषद की बैठक में प्रस्तुत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के सभी पात्र प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान करते हुए सामुदायिक संगठक के पद पर नियमितिकरण के प्रकरण को विधिक सलाह लेकर पुनः प्रस्तुत करने तथा 12 सामुदायिक संगठिकाओं को संविदा में कार्य पर रखने के संबंध में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुशंसा की गई।

नगर पालिक निगम, भिलाई के महापौर परिषद की बैठक प्रभारी महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं आयुक्त एस0के0 सुंदरानी की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। बैठक में कुल 03 प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे जिसमें एस0एस0 रिजवी को भारत सरकार की आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सहायक परियोजना अधिकारी में समायोजित करने के दिये गये निर्देश के तहत् राज्य शासन उनके 26 वर्ष के कार्यकाल को दृष्टिगत् रखते हुए विशेष प्रकरण मानकर छ0ग0 नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 58 के अधीन सामुदायिक संगठक के स्वीकृत पद के विरुद्ध एक सांख्येत्तर पद पर नियमित करने की अनुमति हेतु प्राप्त प्रकरण पर महापौर परिषद के सदस्यों ने विचार विमर्श कर प्रकरण में विधिक सलाह प्राप्त कर पुनः प्रस्तुत करने की अनुशंसा की है। वहीं निगम भिलाई में सामुदायिक संगठिका के रुप में कार्यरत् 12 महिला संगठिकाओं को नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वर्ण जयंती शहरीय रोजगार के तहत् जिला शहरीय विकास अभिकरण द्वारा सामुदायिक संगठिकाओं को रोजगार कार्यालय द्वारा स्नातक शिक्षा के मापदण्ड अनुसार संविदा नियुक्ति की गई थी उक्त विभाग द्वारा भारत सरकार की गाईड लाईन अनुसार सामुदायिक संगठिकाओं को प्लेसमेंट एजेंसी ज्वाईन करने हेतु निर्देर्शित किया गया था उक्त निर्देश के विरुद्ध सामुदायिक संगठिकाओं द्वारा मान. उच्च न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया है चुंकि उक्त संगठिकाओं के निरंतरता के संबंध में राज्य शासन से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है को ध्यान में रखते हुए परिषद के सदस्यों ने प्रकरण पर शासन से पत्राचार कर जानकारी मंगाये जाने की अनुशंसा की है।

मदर टेरेसा नगर जोन 03 से प्राप्त 57, वैशाली नगर जोन 02 से प्राप्त 68 प्रकरण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, सामा. सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन जो पात्र पाये गये की स्वीकृति प्रदान किया गया। भिलाई निगम क्षेत्र में परिलक्षित हो रहे स्वाईन फ्लू एवं डेंगू के प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी बरतते हुए बचाव के कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश अधिकारियो को दिये गये।

बैठक में महापौर परिषद के सदस्य डॉ. दीवाकर भारती, जोहन सिन्हा, केशव बंछोर, दुर्गा प्रसाद साहू, सूर्यकान्त सिन्हा, नरेश कोठारी, श्रीमती सुभद्रा सिंह, सदीरन बानो, सुशीला देवांगन, सहित संबंधित विभाग के प्रमुख उपस्थित थे।

जनसम्पर्क अधिकारी